दिनांक: 28.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ एक गौकश अभियुक्त घायल/गिरफ्तार, कब्जे से गौकशी के उपकरण, 01 देशी तमन्चा, 02 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 बिना नम्बर प्लेट मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती, अवैध नशे के कारोबार जैसे आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।***

इसी क्रम में आज दिनाँक 27.07.2026 को प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर मय फोर्स के सबरीपुर नदी मे कच्चे रास्ते पर संदिग्ध व्यक्ति /वाहन की चैकिंग कर रहे थे तभी सबरीपुर की तरफ से एक मोटर साइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये जिसे पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा किया गया जो नही रूके और सबरीपुर नदी मे कच्चे रास्ते पर भागे तथा करीब 300 मीटर आगे चलकर मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियो द्वारा कच्चे रास्ते पर ही जंगल मे घुसकर जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगे आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गयी फायरिंग में बदमाश के दाहिने पैर मे गोली लगने से घायल बदमाश को गिरफ्तार किया गया तथा दूसरा व्यक्ति जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा जिसकी तलाश हेतु पुलिस द्वारा लगातार काबिंग की जा रही है। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान ***इसरार पुत्र पीरू निवासी दतौली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*** *के रूप में हुई । गिरफ्तार अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी फतेहपुर मे भर्ती कराया गया । जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद अभियुक्त को जिला अस्पताल रैफर किया गया। अभियुक्त के कब्जे से गौकशी के उपकरण ,01 तमन्चा देशी 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर व एक मोटर साईकिल स्पलैण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई । अभियुक्त शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है, गिरफ्तार अभियुक्त थाना फतेहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 191/26 109(1)/318(4)/336(2) बीएनएस व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम में वांछित चल रहा था । अभियुक्त पूर्व से भी थाना फतेहपुर गौकशी/मुठभेड आदि की संगीन धाराओं में 03 मुकदमें में पंजीकृत है । गिरफ्तारी व बरमादगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर 294/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 ए एक्ट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।*

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ के दौरान बताया गया कि मै तथा मेरा साथी कहीं गौकशी करने के लिये अपनी मो0सा0 से जा रहे थे। कि रास्ते मे हम लोगो को पुलिस चैकिग करती दिखायी दी। जैसे ही हम लोगो को पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो हम लोग पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायकर कर भागने लगे पुलिस की जवाबी फायरिंग मे मेरे गोली लग गयी तथा मेरा साथी जंगल के रास्ते कहीं भाग गया।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त का नाम व पताः-

इसरार पुत्र पीरू निवासी दतौली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण -

- *गौकशी के उपकरण ((लकडी का गुटखा,छुरी,कुल्हाडी,रस्सी,)*
- *एक बाइक स्पलैण्डर प्लस (बिना नम्बर प्लेट रंग काला)*
- *01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर ,01 खोखा कारतूस 315 बोर*

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- *मु0अ0सं0 216/19 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट 11 पशु क्रूरत अधिनियम थाना फतेहपुर सहारनपुर।*
- *मु0अ0सं0 230/20 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर।*
- *मु0अ0सं0 191/26 धारा 109(1)/318(4)/336(2) बीएनएस व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना फतेहपुर सहारनपुर।*
- *मु0अ0सं0 294/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 ए एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री बबलू कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*
3. *उ0नि0 श्री सुबोध शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*
4. *है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*
5. *है0का0 231 रोहित चौधरी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*
6. *है0का0 581 लक्ष्मी प्रसाद थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*
7. *का0 1323 कुलदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*
8. *रि0का0 796 अमरजीत सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*
9. *रि0का0 788 रितिक कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*

दिनांक 28.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से चोरी किये गये बिजली का स्टेबलाईजर, इनर्वटर, ए0सी0 का आउटडोर व घटना में प्रयुक्त 01 ई-रिक्शा बरामद

घटना का विवरणः- *दिनांक 27.07.26 को वादी1.श्री डा0 विकासजैन पुत्र वी0 के जैन निवासी प्रताप नगर रायावाला थाना मण्डी सहानरपुर 2. श्री फरमान अली पुत्र रिजवान अहमद निवासी पैरागपुर चिलकाना सहारनपुर 3. संदीर गर्ग पुत्र रोशनलाल गर्ग निवासी पीर बाजार दीनानाथ बाजार थाना मण्डी सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा बिजली का स्टेबलाईजर ,इनर्वटर व पंखा ,ए0सी0 का आउटडोर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर क्रमशः1. मु0अ0सं0 389/26 धारा 303(2)ए बीएनएस 2. मु0अ0स0-390/26 धारा 305(ए) बीएनएस 3. मु0अ0स0-391/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त चोरी की घटनाओं का शीघ्र अनावरण हेतु टीम गठित कर तत्काल आदेश निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी श्री सतपाल भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा गस्त व चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये* ***अभियुक्तगण 1.तौसीफ पुत्र तौफीक निवासी नूरबस्ती गैस गोदाम मन्नत वाली गली थाना कोतवाली नगर सहारनपुर 2.आबिद पुत्र अख्लाख निवासी बंजारो का मौहल्ला थाना मंडी सहारनपुर 3.सलमान पुत्र आश मौहम्मद निवासी मौहल्ला कुआ पट्टी कस्बा व थाना इंचौली मेरठ*** *को जै0वी0 जैन इण्टर कालेज के बराबर से खाताखेडी जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 03 एसी के आउटडोर, ए0सी0 के कॉपर का तार, 01 स्टेपलाईजर, 01 इंवर्टर, ए0सी0 के कॉपर के पाईप व आउटडोर के पार्टस अलग-अलग टुकडो मे खुले हुए बरामद किये गये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्तों में धारा 317(2)/61(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। व घटना में प्रयुक्त ई- रिक्शा UP 11 DT 9473 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया तथा उपरोक्त घटनाओं में शामिल अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगणो के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.तौसीफ पुत्र तौफीक निवासी नूरबस्ती गैस गोदाम मन्नत वाली गली थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
2.आबिद पुत्र अख्लाख निवासी बंजारो का मौहल्ला थाना मंडी सहारनपुर
3.सलमान पुत्र आश मौहम्मद निवासी मौहल्ला कुआ पट्टी कस्बा व थाना इंचौली मेरठ

गिरफ्तार अभियुक्त तौसीफ उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0सं0-537/2026 धारा 379/411 भादवि थाना सिडकुल जिला हरिद्वार*
2. *मु0अ0सं0 389/26 धारा 303(2)ए/61(2) बीएनएस थाना मण्डी सहारनपुर*
3. *मु0अ0स0-390/26 धारा 305(ए) /61(2)बीएनएस थाना मण्डी सहारनपुर*
4. *मु0अ0स0-391/26 धारा 303(2)/61(2) बीएनएस थाना मण्डी सहारनपुर*

5. मु0अ0स0-366/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर
6. मु0अ0स0-369/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त आबिद उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः

1. मु0अ0सं0 389/26 धारा 303(2)ए/61(2) बीएनएस थाना मण्डी सहारनपुर
2. मु0अ0स0-390/26 धारा 305(ए) /61(2)बीएनएस थाना मण्डी सहारनपुर
3. मु0अ0स0-391/26 धारा 303(2)/61(2) बीएनएस थाना मण्डी सहारनपुर
4. मु0अ0स0-366/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर
5. मु0अ0स0-369/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर
6. मु0अ0स0-452/20 धारा 13 जी अधि0 थाना कुतुबशेर सहारनपुर
7. मु0अ0स0 13/2023 धारा 379/411/414 भादवि थाना सरसावा जिला सहारनपुर
8. मु0अ0सं0- 71/2023 धारा 379/411/414/427 भादवि थाना सरसावा जिला सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त सलमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 389/26 धारा 303(2)ए/61(2) बीएनएस थाना मण्डी सहारनपुर
2. मु0अ0स0-390/26 धारा 305(ए) /61(2)बीएनएस थाना मण्डी सहारनपुर
3. मु0अ0स0-391/26 धारा 303(2)/61(2) बीएनएस थाना मण्डी सहारनपुर
4. मु0अ0स0-366/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर
5. मु0अ0स0-369/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 03 एसी के आउटडोर
- एसी के कापर का तार
- 01 स्टेब्लाईजर
- 01 इंवर्टर
- ए0सी0 के कापर के पाईप व आउटडोर के पार्टस अलग-अलग टुकडो मे खुले हुए बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री पंकज मिश्रा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. है0का0 848 कपिल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
6. है0 का0 09 महबूब अली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
7. है0का0 737 अरुण कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
8. का01570 रवि कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 28.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ 01 गौकश अभियुक्त घायल/गिरफ्तार, कब्जे से गौकशी के उपकरण, 01 देशी तमन्चा .315 बोर, 01 जिन्दा / 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 जिन्दा गोवंश एवं 01 पिकअप बरामद

अवगत कराना है कि ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती,अवैध नशे के कारोबार जैसे आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।***

इसी क्रम में आज दिनाँक 28.07.2026 की रात्रि को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि मल्हीपुर रोड़ पर तालाब के सामने आम के बाग में कुछ व्यक्ति गौकशी की तैयारी की जा रही है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात मय फोर्स के आम के बाग के पास मौके पर पहुंचे तो देखा कि 03 व्यक्तियों द्वारा गौकशी की घटना करने का प्रयास किया जा रहा है । पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगे । पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के बायें पैर मे गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा दो व्यक्ति जंगल व अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे जिनकी तलाश हेतु पुलिस द्वारा लगातार काम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार / घायल बदमाश की पहचान ***नफीस उर्फ काला पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम सैय्यद माजरा थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर*** *के रूप में हुई । गिरफ्तार अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल सहारनपुर मे भर्ती कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है, जो* ***थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 370/2026 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम का वांछित अभियुक्त है।*** *गिरफ्तार/घायल अभियुक्त नफीस उर्फ काला उपरोक्त के विरुद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों पर गौकशी/मुठभेड/गुंड़ा एक्ट/आर्म्स एक्ट आदि संगीन अपराधों में लगभग 01 दर्जन से अधिक मुकदमें पंजीकृत है। अभियुक्त के कब्जे से गौकशी के उपकरण, 01 तमन्चा देशी .315 बोर व 01 जिन्दा / 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 जिन्दा गोवंश व 01 पिकअप गाडी बरामद हुई । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0- 375/2026 धारा 109(1)/351(3)/352/318(4)/317(5)/336(3) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

नफीस उर्फ काला पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम सैय्यद माजरा थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर ।

अभियुक्त नफीस का आपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0सं0 401/2018 धारा 3/5क/8 गौवध अधि0 व 3/11 पशु क्रुर्रता अधिनियम थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।*
2. *मु0अ0सं0 110/2019 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0 168/2019 धारा 3/5क/8 गौवध अधि0 थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर*

4. मुं0अ0सं0 196/2019 धारा 307 भादवि थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 197/2019 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 52/2020 धारा 10 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 128/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना गागालहेडी जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 255/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 42/2023 धारा 10 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
10.मु0अ0सं0 149/2023 धारा 379/411 भादवि थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
11.मु0अ0सं0 132/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
12.मु0अ0सं0 147/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना गागलहेडी सहारनपुर
13.मु0अ0सं0 150/2026 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

<u>बरामदगी का विवरण:</u>

- 01 तमंचा .315 बोर
- 01 जिन्दा/01 खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 जिन्दा गोवंश
- 01 पिकअप बरामद

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1-श्री एच0एन0 सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2- उ0नि0 अनुज कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
3- उ०नि० विजय सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
4-है0का0 526 सनोवर ताज थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
5- है०का0 870 रोबिन ढाका थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
6- है0का0 1150 विकास पूनिया थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
7- का0 2098 अमित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 28.07.2026

सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा कांवड यात्रा के दौरान ट्रैक्टरो मे लकडी भरकर कांवड मार्ग पर परिवहन कर मार्ग को प्रभावित करने वाले 07 ट्रैक्टर वाहनों को किया सीज

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकस जनपद सहारनपुर द्वारा कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जनपद में लागू यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने तथा कांवड यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी चिलकाना श्री विनोद कुमार के नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस द्वारा कांवड मार्ग पर चैकिंग की जा रही थी चैकिंग के दौरान दिनांक 27.07.26 की रात्रि मे लकडी भरे हुए 07 ट्रैक्टर जो थाना बेहट क्षेत्र से चलकर चिलकाना मार्ग होते हुए सरसावा की तरफ जा रहे थे,जो आगे चलकर सरसावा से हरियाणा जाने वाले कांवड मार्ग पर चढकर कावड मार्ग को प्रभावित कर सकते थे जबकि प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान लागू यातायात प्रतिबंधों एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाये। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर लकड़ी से लदे 07 ट्रैक्टर वाहनों को सीज कर वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

वाहन का विवरण –

(1) 01 ट्रैक्टर - UP11-CZ-2465
(2) 01 ट्रैक्टर UP11-BK-3699
(3) 01 ट्रैक्टर UP11-CF-9206
(4) 01 ट्रैक्टर HR02-BE-1969
(5) 01 ट्रैक्टर UP 31-T-8516
(6) 01 ट्रैक्टर बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट
(7) 01 ट्रैक्टर बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम—

1. *थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री सुखबीर सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
3. *का0 978 विपिन नैन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
4. *का0 606 अनुज कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांकः 28.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा फर्जी बैनामा कराकर धोखाधड़ी से जमीन बेचने के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार

घटना का विवरणः-

दिनांक 09.04.2026 को वादिया श्रीमती परवीन पुत्री इब्राहिम निवासी ग्राम शाहपुर कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. श्रीमती गुलशाना पत्नि स्व इब्राहिम हाल पत्नी शहजाद सलमानी 2. शहजाद सलमानी पुत्र शमशाद निवासीगण मौहल्ला सडकपार कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर 3. शाईस्ता पत्नी शाहनवाज पुत्री यासीन निवासी ग्राम लखनौती जनता रोड थाना को देहात सहारनपुर 4. अब्दुल कादिर पुत्र यासीन 5.श्रीमती मोमिना पत्नी यासीन निवासीगण मौहल्ला इन्द्रा कालोनी कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर 6. अब्दुल मालिक पुत्र अब्दुल खालिक निवासी मौ0 लोहरान कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर 7. असलम पुत्र फारुख निवासी फूल कालोनी कस्बा व थाना बेहट सहानपुर द्वारा योजना के तहत अभियुक्ता श्रीमती शाईस्ता पुत्री यासीन के द्वारा शाईस्ता पुत्री इब्राहिम नाम से फर्जी कागजात बनाकर नाम खतौनी मे दर्ज कराकर जमीन के बैनामे कराकर धोखाधडी कर जमीन को बेचने के सम्बंध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 183/26 धारा 318(4)/336(3)/338/340(2)/61(2)बी0एन0एस0 के पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाहीः-

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.07.2026 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित 02 अभियुक्तगण **1.शाईस्ता पुत्री यासीन पत्नि शाहनवाज निवासी लखनोतीखुर्द थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर** को ग्राम लखनोती खुर्द **व 2.शहजाद पुत्र शमशाद निवासी मौहल्ला लुहारान कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर** को मौ0 सडकपार कट बेहट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. *शाईस्ता पुत्री यासीन पत्नि शाहनवाज निवासी लखनोती खुर्द थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर।*
2. *शहजाद पुत्र शमशाद निवासी मौहल्ला लुहारान कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर।*

अभियुक्ता शाईस्ता का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 96/22 धारा 420.467.468.471.120बी0 भादवि थाना बेहट सहारनपुर।

अभियुक्त शहजाद का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 252/22 धारा 193.420.467.468.471 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 398/22 धारा 406.420.506 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 482/22 धारा 420.467.468.471.120बी0 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. मु0अ0स0 143/22 धारा 147, 323, 354(ख), 452, 506, 511 थाना बेहट सहारनपुर।
5. मु0अ0स0 606/21 धारा 120-B, 406, 420, 467, 468, 471 थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम

1. व0उ0नि0 विपिन कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. म0उ0नि0 चंचल कुमारी थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. है0का0 सचिन कुमार, थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. है0का विजय सिंह थाना सदर बाजार सहारनपुर
5. है0का0 1077 अंकुर थाना सदर बाजार सहारनपुर

6.रि0म0का0 2184 राखी थाना सदर बाजार सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 28.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/लूट/डकैती/नकबजनी/छिनैती आदि घटनाओं की रोकथाम एवं इनमे संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना गंगोह श्री इन्द्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा आज दिनांक 28/07/2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त ***जहीर पुत्र हनीफ नि0 मौ0 कुरैशियान ग्राम लखनौती थाना गंगोह जिला सहारनपुर*** *को गस्त के दौरान लखनौती तिराहा लखनौती से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 360/25 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

जहीर पुत्र हनीफ नि0 मौ0 कुरैशियान ग्राम लखनौती थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- *01 तमंचा 315 बोर*
- *01 कारतूस जिन्दा 315 बोर*

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0सं0 523/25 धारा 10 यूपी गुण्डा अधि0 थाना गगोह जिला सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0 96/18 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0 304/20 धारा 3/5ए/8 गोवध अधि0 व 11(घ) पशु क्रूरता अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर*
4. *मु0अ0सं0 692/20 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर पंजीकृत होना पाया गया*
5. *मु0अ0सं0 323/11 धारा 147/148/149/307भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर*
6. *मु0अ0सं0 324/11 धारा 3(1)(10), 3(1)(10) एसीएसटी एक्ट, 7 सीएलए एक्ट व 147/148/149/307/307/504 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *उ0नि0 बिलेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*
2. *है0का0 12 अंकुश गोदारा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*
3. *हे0का0 294 उदित मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*
4. *हे0का0 639 मुकेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*

दिनांक -28.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरणः-

दिनांक 27.07.2026 को वादी श्री जयप्रकाश पुत्र गोला निवासी मौ0 शशिनगर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 26.07.2026 की रात्रि 22.30 बजे अभियुक्तगण 1.आदी पुत्र सुधीर कुमार निवासी ग्राम जडौदा जट्ट, 2. सूर्याश पुत्र नामालूम निवासी शास्त्री चौक कस्बा देवबन्द जनपद सहारनपुर,3. आकाश पुत्र सरजीत निवासी शशिनगर कस्बा व थाना देवबन्द व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के पुत्र शिवा को जबरदस्ती अपहरण करके ले जाने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 542/2026 धारा 140(3) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान अपहरत शिवा के शव की बरामदगी के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 140(1)/103(1) /238(ए)/3(5) बीएनएस की वृद्धी की गई।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक देहात एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.07.2026 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश मे आये अभियुक्त **तेजस पुत्र सतीश नि0 मौ0 गाँधी कालौनी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को जडौदा जट्ट को जाने वाली सडक पर बने द्वार के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि आज से लगभग 15 दिन पहले सूर्यांश व शिवा के बीच तमंचा दिखाने को लेकर विवाद हुआ था जिसमे शिवा का कहना था कि सूर्यांश ने मुझे तमंचा दिखाया। सूर्यांश ने कहा कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नही है मै तुम्हे तमंचा क्यो दिखाऊँगा परन्तु शिवा नही माना और उसने अपने साथियो के साथ मिलकर मेरे, आदी उर्फ आदित्य पुत्र सुधीर कुमार निवासी ग्राम जडौदा जट्ट, सूर्याश पुत्र सन्दीप निवासी शास्त्री चौक कस्बा देवबन्द जनपद सहारनपुर व आकाश पुत्र सरजीत निवासी शशिनगर कस्बा व थाना देवबन्द के साथ मारपीट की थी। इसी बात पर हमने शिवा की हत्या करने की योजना बनायी। इसी योजना के तहत हम दिनांक 26.07.2026 की रात्रि में शिवा को उसके घर से बाहर बुलाकर बातचीत करने के बहाने लाये और टीचर कॉलोनी के पीछे ईंख के खेत में ले जाकर हम सब ने मिलकर हाथो से गला घोंटकर शिवा की हत्या कर दी। और शिवा के शव को टीचर कॉलोनी के पीछे ईँख के खेत में ही छिपा दिया था जिससे किसी को पता न चल सके।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

तेजस पुत्र सतीश नि0 गाँधी कालौनी थाना देवबन्द जिला सहारनरपुर।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम---</u>

1. *प्रभारी निरीक्षक कपिल देव थाना देवबन्द सहारनपुर ।*
2. *निरीक्षक श्री गौरव त्यागी थाना देवबन्द सहारनपुर ।*
3. *उ0नि0 श्री डैनी कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर ।*
4. *है0का0 1124 राहुल कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर ।*
5. *का0 1980 योगेश कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर ।*
6. *रि0का0 676 अमरजीत सिंह थाना देवबन्द सहारनरपुर ।*